The Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Act, 2002

Act 14 of 2002

Keyword(s):
Stamp Duty, Treasury

Amendments appended: 2 of 2023, 14 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–215

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 460/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त 1– (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002, कहा जोयगा।
नाम,

विस्तार (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।
और

प्रारम्भ (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

अधिनियम 2– भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की (अनुसूची 1–ख) में,
सं0 2 सन्
1899 (क) अनुच्छेद 35 (पट्टा) में,–.....
की (एक) खण्ड(क) में, उपखण्ड (VI), (VII) और (VIII) के स्थान पर निम्नलिखित
(अनुसूची उपखण्ड रख दिये जायेगें, अर्थातः–
1–ख) का

संशोधन	"(VI) जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वता के लिये तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं है,	वहीं शुल्क जो सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क) पर देय हो।"

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थातः–

"(ख) जहॉ कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहॉ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है:–

(एक) जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो ऐसें नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देय हो।
(दो) जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक	वही शुल्क जो सम्पत्ति के,को पट्टे की विषय वस्तु हो,

अवधि के लिये तात्पर्यित है,

बाजार, मूल्य के, बराबर प्रतिफल वाले हस्तारण पत्र (सं0–23 खण्ड(क)) पर देय हो,

(ग) जहाँ कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मन्जूर किया गया है:–

(एक) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता– परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
(दो) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के,को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड(क)) पर देय हो।

(तीन) स्पष्टीकरण (5) निकाल दिया जायेगा।

निरसन 3–भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 (अध्यादेश सं0 5, वर्ष 2002) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

(यू० सी० ध्यानी)
अपर सचिव।

No. 460/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002
Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 14 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE INDIAN STAMP (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2002

(UTTARANCHAL ACT No. 14 OF 2002)

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttaranchal.

It is hereby enacted in the Fifty Third year of the Republic of India as follows:-

Short title extent & Commencement 1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Act, 2002.

(2) It shall extend to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Amendment of (Schedule 1-B of Act. No. II of 1899) 2. In (schedule I-B) of the Indian Stamp Act, 1899:-

(a) In Article 35(Lease)-

(i) in Clause (a) for sub-Clause (VI), (VII), and (VIII), the following clauses shall be substituted, namely,

"(VI) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years or in perpetuity or does not purport to be for any definite term.	The same duty as a Conveyanace (No.23 Clause(a)), for a consideration equal the market value of property which is the subject of the lease."

(iii) for clause (b) and (c), the following clause shall be substituted, namely:-

(b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved:-

(i) Where the lease purport to be for a term not exceeding thirty years;	The same duty as a Conveyance (No.23 Clause (a)),for a consideration equal to amount or the value of such fine or premium or advance as setforth in the lease.

(ii) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years;	The same duty as a conveyance (No.23 Clause(a)), for a consideration equal to the market value of property which is the subject of the lease.
(c) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to the rent reserved:-	
(i) Where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years;	The same duty as Conveyance (No.23 Clause(a)), for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered; Provided that in a case when an agreement to lease is stamped with the ad-valorem stamp required for lease, and a lease in pursuance of such an agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed Fifty Rupees.
(iv) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years;	The same duty as Conveyance (No.23 Clause(a)), for a consideration equal the market value of property, which is the subejct of the lease.

(v) Explanation (5) shall be omitted.

Repeal 3-The Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2002 (Ordinance No. 05 of 2002) is hereby repealed.

By Order,

(U. C. DHYANI)
Addl. Secy.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 32 विधायी/565–2002–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

No. 49/XXXVI(3)/2023/63(1)/2022
Dated Dehradun, February 23, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2022 (Act No. 02 of 2023)'.**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 21 February, 2023.

THE INDIAN STAMP (UTTARAKHAND AMENDMENT) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 02 of 2023)

An

Act

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Uttarakhand.

IT IS HEREBY enacted by the Uttarakhand State legislature in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Article 18

2. In the schedule 1-B, to the Indian stamp act, 1899 in Article 18 (certificate of sale), in the column relating to the "proper stamp duty", for the existing provision following provision shall be inserted, namely:-

"The same duty as a conveyance {No. 23 clause (a) or clause(b); as the case may be}, for a consideration equal to the amount of the purchase money only."

By Order,

SHAMSHER ALI,
Additional Secretary.

क्रम-संख्या–154

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024

भाद्रपद 1, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 350/79-वि-1–2024-1-क-1-2024

लखनऊ, 23 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन मा0 राष्ट्रपति ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 16 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 में, खण्ड (ङ) तथा (ङङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात:–

(ङ) (एक) जब अटर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार प्रदान किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(दो) जब अटर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का प्राधिकार प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(ङङ) (एक) जब परिवार के सदस्यों [पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र/पौत्री (पुत्र का पुत्र/पुत्री), नाती/नातिन (पुत्री का पुत्र/पुत्री)] को सम्बन्ध के सबूत के साथ प्राधिकृत किया जाय।	5000 रूपये
(दो) जब उपखण्ड (एक) में उल्लिखित परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को मुख्तारनामा के माध्यम से अचल सम्पत्ति के विक्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2023) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) स्टाम्प से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान समय में रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा विलेखों के नियमित समीक्षा से यह संज्ञान में आया है कि कुछ मुख्तारनामा विलेख ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत किये जा रहे थे जो परिवार के सदस्य नही थे, और उक्त विलेख में बिना प्रतिफल का उल्लेख किये स्थावर सम्पत्ति विक्रय का प्राधिकार ऐसे मुख्तारनामा में निहित किया जा रहा था और उक्त विलेख मात्र रुपये 50/– का स्टाम्प शुल्क के संदाय के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किये जा रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले प्रकाश में आये जिनमें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आवंटित स्थावर सम्पत्तियाँ, उक्त सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा केवल ऐसे मुख्तारनामा विलेख के आधार पर अन्तरित की जा रही थी, ऐसे मामले भी प्रकाश में आये हैं जहाँ अन्य राज्यों में मुख्तारनामा सम्बन्धी विधियों में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण अन्य

राज्यों में स्थित स्थावर सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्तारनामा विलेख का रजिस्ट्रीकरण नियमित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में कराया जा रहा था। इस प्रकार मुख्तारनामा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी उपबंधों के दुरुपयोग से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के स्टाम्प राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त अधिनियम, की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 350(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-1-2024
Dated Lucknow, August 23, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 16, 2024. The Stamp and Registration Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. Act No. 14 of 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2024.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come in to force with effect from December 28, 2023.

Amendment of Article 48 of Schedule 1- B of Act no. 2 of 1899

2- In Article 48 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 as amended in its application to Uttar Pradesh, *for* clauses (e) and (ee), the following clauses shall be *substituted*, namely:-

"(e) (i) When irrevocable authority is given to the attorney to sell the immovable property.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney.

(ii) When authority to sell the immovable property is given to the attorney for consideration.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney.
(ee) (i) When the members of the family [father, mother, husband, wife, son, daughter-in-law, daughter, son-in-law, brother, sister, grand son/grand daughter (son's son/daughter), grand son/ grand daughter (daughter's son/ daughter)] to be authorized with proof of relationship.	Rs. 5000/-
(ii) When any person other than the members of the family mentioned in sub-clause (i) is authorized to sell the immovable property by means of Power of Attorney.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney."

Repeal and saving

3. (1) The Indian stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 19 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to consolidate and amend the law relating to stamps.

Form a regular review of power of attorney deeds registered in the recent period, it has come to knowledge that some power of attorney deeds were being registered in favour of persons who were not members of family, and the authority of sell immovable property was being vested in such power of attorney, without mentioning any consideration in the said deed, and the said deeds were being registered after paying stamp duty of only Rs. 50/-. A large number of such cases had come to light in which immovable properties allotted by various authorities were being transferred by the allotees of the said properties on the basis of such power of attorney deeds only. Such cases have also come to light where due to changes in laws relating to power of attorney in other States, registration of power of attorney deeds in respect of immovable properties situated in other States were being done regularly in the State of Uttar Pradesh. Thus, misuse of provisions regarding chargeability of stamp duty on power of attorney deeds was causing an adverse impact on stamp revenue of not only Uttar Pradesh but also other States. In view of the above, it was decided to amend Article 48 of Schedule 1-B of the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Indian Stamp (Uttar Pradesh) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 19 of 2023) was promulgated by the Governor on 28th December, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 224 राजपत्र–2024–(605)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 82 सा0 विधायी–2024–(606)–300 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।